न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

CNR No. UPAZ01-002754-2012

राज्य बनाम सत्यप्रकाश

सत्र वाद सं०–33/2012

अपराध सं०–640/09

धारा–307, 120बी भा०दं०सं०

थाना–कन्धरापुर, आजमगढ़

दिनाँक–21.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सत्य प्रकाश व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त बाबू लाल गोड़ की हाजिरी जरिये अधिवक्ता केवल आज के लिए स्वीकृत। साक्षी राकेश उपाध्याय भी न्यायलाय के समक्ष उपस्थित है।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थना पत्र 57ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण में साक्षी राकेश उपाध्याय पुत्र प्रेम सागर उपाध्याय ग्राम विसौली, थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ हाजिर अदालत है। पूछताछ के दौरान घटना से बिल्कुल अनभिज्ञता जता रहा है। अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं कर रहा है। साक्षी राकेश उपाध्याय को साक्ष्य से उन्मोचित करने की याचना की गयी।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि साक्षी राकेश उपाध्याय आरोप पत्र में अंकित गवाहों की सूची में दर्ज है, जो आज न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित है, किन्तु अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त साक्षी को यह कह कर साक्ष्य से उन्मोचित करने की याचना की गयी है कि उक्त साक्षी घटना से अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। चूँकि साक्षी घटना से अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है तथा अभियोजन उक्त साक्षी को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 57ख स्वीकार किया जाता है। साक्षी राकेश उपाध्याय को साक्ष्य से उन्मोचित किया जाता है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आदेशित किया जाता है कि सूची के अन्य गवाहान को अगली तिथि पर साक्ष्य में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनाँक 03.06.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code UP 2403

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.04.21 12:46:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court